न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 122 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
नारणाराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी सेवनियाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर	1. वालाराम पुत्र गोमाराम 2. जोगाराम पुत्र गोमाराम 3. आदूराम पुत्र नगाराम 4. समेलाराम पुत्र नगाराम 5. दूदाराम पुत्र हुकमाराम 6. पूनमाराम पुत्र हुकमाराम 7. सताराम पुत्र हुकमाराम का.मु. 7/1जस्साराम पुत्र सताराम 7/2लाछीदेवी पत्नी सताराम 8. डाईदेवी पत्नी हुकमाराम जातियान जाट निवासीयान सेवनियाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर 9. श्रीमान शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक चवा 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2020 बअनवान बालाराम वगैरा बनाम हुकमाराम के कायम मुकाम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नरपत पूनड़, श्री मोहनलाल पूनड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी, श्री रिणछाराम सियाग रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—13.09.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी के पैतृक खेत मौजा सेवनियाला पटवार मण्डल सेवनियाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 287 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 288 रकबा 02.08 बीघा, खसरा संख्या 290 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 415/289 रकबा 381.16 बीघा कुल रकबा 385.07 बीघा मौजा खवालिया नाड़ा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 239 रकबा 148.16 बीघा तथा मौजा सुथारो की ढाणी पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 12 रकबा 89.07 बीघा भूमि आई हुई है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

से कब्जा काश्त है। उक्त विवादित आराजी में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 व 4 का संयुक्त 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। परन्तु वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से भूमि का वाहामी बंटवाड़ किया जाकर मौके पर बंटवाड़े अनुसार कब्जा काश्त है। इसी हिस्सो के माफिक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि पर काबिज है तथा अपनी रहवासी ढाणियां, चारवाड़े, पशुबाड़े व टांके बने हुऐ है इसी हिस्से अनुसार घोषित कर बाई मिटस एण्ड बाऊण्ड बंटवाड़ा किया जावे। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के मार्फत जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि प्राथमिक डिक्री में खसरा संख्या 239 रकबा 148.16 बीघा मौजा खवालीया नाडा पटवार मण्डल बोड़वा में प्रतिवादी संख्या 1 हुकमाराम के 1/4 हिस्सा घोषित कर सभी खातेदारों के मध्य शामलाती रास्ता छोड़ते हुऐ बाई मिटस एण्ड बाऊण्डस का प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने का आदेश पारित किया था जबकि तहसीलदार बायतु ने भू निरीक्षक द्वारा खसरा संख्या 239 रकबा 148.16 बीघा भूमि सिर्फ एक खातेदार जोगाराम पुत्र गोमाराम के नाम रखने का विभाजन प्रस्ताव दिया गया है तहसीलदार बायतु या भू निरीक्षक ने प्राथमिक डिक्री से अलग अपने स्तर पर किसी एक खातेदार के नाम सम्पूर्ण भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं कर सकता है। इस प्रकार बाले बाले तरीके से भूमि का बंदर बाट किये जाने के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बायतु को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बायतु द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने विना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार वायतु द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार बायतु स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 यह अवधारित करता है कि जोत के यथासंभव टुकड़े नहीं किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण प्राथमिक डिक्री जारी की उस समय अपीलांटस के पिता हुकमाराम जीवित थे। हुकमाराम के चार पुत्र है जिसमें से अपीलांटस नारणाराम ने ही अपील पेश की है बाकी सभी मौन है। इसलिए अपील अपने आप में महत्व नहीं रखती है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक 23.06.2020 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये विना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की गई वो प्राथमिक डिक्री के विपरित है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक पक्षकार हुकमाराम के विरूद्ध पारित की गई जो प्रारम्भ से ही शून्य है। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2020 बअनवान बालाराम वगैरा बनाम हुकमाराम के कायम मुकाम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2020 में अंकित हिस्सों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.11.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिपाल पलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर